

## राज्य शिक्षा केन्द्र

पुस्तक भवन, बी-विंग, अरेरा हिल्स, भोपाल—462 011

दूरभाष : (0755) 2768390, 91, 92, 94, 95 फैक्स : 2552363, 2760561

क्रं./राशिके/आरटीई/2020 - 1708  
प्रति,

भोपाल, दिनांक - 6-3-2020

कलेक्टर,  
समस्त जिले  
मध्यप्रदेश

विषय:—शैक्षणिक सत्र 2020-21 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत गैर अनुदान मान्यता प्राप्त अशासकीय स्कूलों में ऑनलाइन निःशुल्क प्रवेश प्रक्रिया के संबंध में।

सन्दर्भ:—म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग का पत्र कं/एफ-44-3/2019/20-2/418 भोपाल दिनांक 04.03.2020


कृपया राज्य शासन के सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। सन्दर्भित पत्र के परिपालन में निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 12 (1)(C) के तहत ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया सत्र 2020-21 की प्रारंभिक तैयारी हेतु [www.rteportal.mp.gov.in](http://www.rteportal.mp.gov.in) पर कार्यवाही हेतु निम्नानुसार समय सारणी जारी की जाती है:—

| कं. | गतिविधि   | जिम्मेदारी                     | समयावधि               |
|-----|---|--------------------------------|-----------------------|
| 1   | ऑनलाइन लॉटरी हेतु अशासकीय स्कूल का चयन किया जाना  | विकासखंड श्रेत समन्वयक         | 06 - 11 मार्च 2020 तक |
| 2   | स्कूल की ग्राम/वार्ड, पड़ोस एवं विस्तारित पड़ोस से मेपिंग   | विकासखंड श्रेत समन्वयक         | 06-13 मार्च 2020 तक   |
| 3   | प्राइवेट स्कूलों द्वारा आर.टी.ई के तहत निःशुल्क प्रवेश हेतु एन्ट्री कक्षा एवं आरक्षित सीटों को दर्ज करना                              | संबंधित अशासकीय स्कूल लॉगिन से | 06-20 मार्च 2020 तक   |
| 4   | निःशुल्क प्रवेश हेतु स्कूल द्वारा दर्ज आरक्षित सीटों को बीआरसीसी द्वारा परीक्षण करना तथा लॉक कर जिला परियोजना समन्वयक को फारवर्ड करना | विकासखंड श्रेत समन्वयक         | 06-23 मार्च 2020 तक   |
| 5   | विकासखंड श्रेत समन्वयक द्वारा अग्रेषित की गयी आरक्षित सीटों को चेक कर जिला परियोजना समन्वयक द्वारा लॉक करना                           | जिला परियोजना समन्वयक          | 06 - 24 मार्च 2020 तक |
| 6   | स्कूलवार कक्षावार आरक्षित सीटों तथा उनके पड़ोस तथा विस्तारित पड़ोस सहित पोर्टल पर अनंतिम रूप से प्रदर्शित किया जाना                   | पोर्टल पर                      | 27 मार्च              |

*[Handwritten Signature]*  
513

|   |  |   |                               |
|---|--|---|-------------------------------|
| 7 | दावा आपत्ति एवं निराकरण                      | विकासखंड श्रोत<br>समन्वयक एवं<br>जिला परियोजना<br>समन्वयक | 27 मार्च-02 अप्रैल 2020<br>तक |
| 8 | प्रायवेट स्कूल द्वारा फीस अधिसूचित किया जाना | संबंधित<br>अशासकीय स्कूलें                                | 06 मार्च - 20 मार्च 2020      |


कृपया जिले में स्थित समस्त गैर अनुदान मान्यता प्राप्त प्रायवेट स्कूलों तथा संबंधित जिम्मेदार अधिकारियों से निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के प्रावधानों के अनुसार समय-सीमा में उपरोक्त कार्यवाही पूर्ण कराने का कष्ट करें।

  
(अनुमा श्रीवास्तव) 5/3/20  
संचालक  
राज्य शिक्षा केन्द्र

क्रं./राशिके/आरटीई/2020-1709  
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 6-3-2020

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्री, म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग की और माननीय मंत्री महोदय के अवलोकनार्थ।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग की और सूचनार्थ।
3. आयुक्त लोक शिक्षण भोपाल म.प्र.।
4. आयुक्त आदिवासी विकास भोपाल, म.प्र.।
5. राज्य सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी., विध्याचल भवन भोपाल।
6. समस्त संभागीय आयुक्त म.प्र.।
7. श्री सुनील जैन, वरिष्ठ तकनीकी निर्देशक, एन.आई.सी., विध्याचल भवन भोपाल।
8. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत म.प्र.।
9. समस्त संयुक्त संचालक लोक शिक्षण संभागीय कार्यलय म.प्र.।
10. जिला शिक्षा अधिकारी, समस्त जिले, म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, समस्त जिले म.प्र.।
12. समस्त जिला परियोजना समन्वयक, जिला शिक्षा केन्द्र, म.प्र.।
13. समस्त विकासखंड श्रोत केन्द्र समन्वयक, म.प्र.।

  
संचालक 5/3/20  
राज्य शिक्षा केन्द्र